

Disallow 15/07/2021

विवरण

7/21

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार जोहन खड्गिया, को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के पुत्र पीटर केरकेडा द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम पालेमण्डा, खाता नं.-101, प्लॉट नं.-2236, 0.79 एअर, वर्ष 1983-84 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान पीटर केरकेडा ने भयना लिखित बयान दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। संदिग्ध क्षेत्र किस्म जंगल/जंगल है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार सही नहीं है। है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम पालेमण्डा खाता नं 101 प्लॉट नं 2236 सर्वे खतियान में किस्म जंगल भाड़ी दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जोहन खड्गिया, पिता-रामु खड्गिया, ग्राम-पालेमण्डा, ब्लॉक नं.-VI, पंचाल-बोलबा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
पालेमण्डा	63	101	$\frac{2236}{2453}$	$\frac{0.79}{एअर}$

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित
अंचल अधिकारी,
बोलबा
9/7/21

अंचल अधिकारी,
बोलबा
9/7/21